रिपोर्ट पटवारी हल्का / अर्द्धरा०अ० रीनवाड़

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार मडेरप, राजस्व रूक - रीनवाड़ के खाता सं 410 मे श्री महेश कि मूंगाराम ॥ जाति जाट दर्ज रिकार्ड है जबकि जाँच के उपरान्त दस्तावेजों जैसे - आधारकार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक के नाम महेश कुमार पुत्र मूंगाराम दर्ज है अतः प्रार्थी की नाम महेश के बजाय महेश कुमार किया जाना उचित है।

~~श्रीमान्जी, रिपोर्ट पटवारी अनुसार उचित किया जाना उचित है।~~

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक - राजस्व / 2020 / 14.10.21

दिनांक 14-10-2021

मुझे ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

– आदेश –

111/2021

दिनांक :– 14-10-2021

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षी एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	रीनवाड़	2015-18	410	महेश S/o मूंगाराम	महेश कुमार S/o मूंगाराम

नोट :–शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :– 14-10-2021

क्रमांक – राजस्व / 2020 / 92-93

प्रतिलिपि –

1 तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2 प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.05 10:46:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner